न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15/2019 (राजसमन्द डिक्री)

मृतक मोहननाथ आत्मज बाली रावल के कायम मुकाम :–

1/1. प्रवीणनाथ आत्मज स्वर्गीय मोहननाथ रावल, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

1/1. विमलेश आत्मज स्वर्गीय मोहननाथ रावल, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

1/1. श्रीमती शान्ता धर्मपत्नी स्वर्गीय मोहननाथ रावल, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

1/1. सुश्री पूजा आत्मजा स्वर्गीय मोहननाथ रावल अवयस्क द्वारा माता श्रीमती शान्ता धर्मपत्नी स्वर्गीय मोहननाथ रावल, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सोमवारनाथ चेला योगी बुधनाथ, जाति नाथ, निवासी गेहलपुर, तहसील अरई, जिला अजमेर (राज.)
2. पुखनाथ चेला पारसनाथ, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
दिनांक 18.02.2019 प्र.सं. 60/2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री बी. एल. डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3– श्री प्रफुल्ल करनपुरिया अभिभाषक रेस्पो.सं. 2
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 18–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण ने रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव कनवेरा में वादी के गुरू चेला खेमा रावल के नाम की भूमि स्थित है। नाथ सम्प्रदाय में गुरू शिष्य परम्परा अनुसार उत्तराधिकारी तय किये जाने से भूमि उनकी मृत्युपरान्त शिष्य के नाम चली जाती है एवं अविवाहित व्यक्ति ही नाथ सम्प्रदाय में दिक्षित होता है, शादी शुदा नहीं। ग्राम कनवेरा में वादग्रस्त कृषि आराजी नंबर 6/34, 6/35, 6/36, 6/41, 6/42, 6/43 कुल किता 6 रकबा 39 बीघा भूमि स्थित है। नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 29–10–1977 को तत्कालीन तहसीलदार ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण से मिलकर भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी, जो गलत है। अतः वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे व स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–02–2019 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09–04–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सत्य प्रकाश व्यास। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री प्रभुल्ल करनपुरिया उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा क्रोस आब्जेशक्शन व लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि इस प्रकरण में सम्प्रदाय परम्पराओं के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वादी ने 41 वर्ष वाद नामान्तरकरण को चुनौती दी है, जो मयाद बाहर है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है तथा पक्षपात पूर्ण तरीके से रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार किया है, जो प्राकृतिक न्याय के

सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा क्रोस आब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया है एवं आज आदेश दिनांक 18–02–2020 को लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 मोहननाथ के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण को विधिक नहीं मानते हुए उसके आधार पर प्रतिवादी/अपीलान्ट के हक अधिकार साबित होना नहीं माना है, जबकि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को नाथ सम्प्रदाय की परम्परा अनुसार विवादित भूमियों में उसके हक अधिकारों को मानते हुए उसका वाद डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा क्रोस आब्जेक्शन का प्रश्न है, उक्त क्रोस आब्जेक्शन उसके द्वारा मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है एवं मयाद कण्डोन हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन बेरून मयाद होने से खारिज किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–02–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

मृतक मोहननाथ के बजाय प्रवीणनाथ आत्मज स्व.मोहननाथ रावल, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील देवगढ़ व अन्य बनाम **सोमवारनाथ चेला योगी बुधनाथ जाति नाथ, नि0 गेहलपुर, तह0 अरई, जिला अजमेर व अन्य**

अपील नं.....**15/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **देवगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**02**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**...श्री बी.एल. डांगी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री सत्यप्रकाश व्यास**
श्री प्रभुल्ल करनपुरिया

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत कोस आब्जेक्शन बेरून मयाद होने से खारिज किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–02–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.18**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: